

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

अप्रार्थीगण

1. दूलाराम पुत्र दूलाराम जाट

1. दूलाराम पुत्र किशनाराम जाट रामनगर वगैरह

बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.घा. 212 R.T.Act 1955

दिनांक 18/2018

(2018/00044)

हुक्म या कार्यवाही मथ इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हए

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर.
टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया।
प्रार्थना- पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटीस तलब
होकर पत्रावली दिनांक 15/1/18 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

~~प्रार्थी एवं प्रार्थी को अज्ञात
होकर अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत पत्र
जारी कर दिया गया है। अतः प्रार्थी को
अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत पत्र
जारी कर दिया गया है। अतः प्रार्थी को
अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत पत्र~~



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)